मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का संशोधन.

४. धारा १५-क का संशोधन.

५. धारा १८ का संशोधन.

६. धारा २० का संशोधन.

७. अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१७

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१७.

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है;

(२) यह १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३-क के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किया गया अपीलीय प्राधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की धारा १०७ के अधीन अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया प्राधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त राज्य कर अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य कर आयुक्त'' स्थापित किए जाएं.

धारा १५-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १५-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' के स्थान पर, ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक और/या राज्यकर निरीक्षक'' स्थापित किए जाएं.

धारा १८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (३) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर'', के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कर विशेष आयुक्त/राज्य कर अपर आयुक्त'' स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' के स्थान

पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए वाणिज्यिक कर निरीक्षक और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कर निरीक्षक'' स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

'' ८.	(१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रस्ट्रीकृत व्यापारी ; और/या	रुपए २५००''.
	(२) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल के प्रदाय या संयुक्त प्रदाय जहां कि प्रमुख प्रदाय माल का हो, से संबद्ध हो.	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७), १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हो गया है. अतएव, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों को वृत्ति कर अधिनियम प्रशासित करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) को संशोधित किया जाना आवश्यक है. यह भी प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन माल के प्रदाय में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से वृत्तिकर उद्ग्रहीत किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ नवम्बर, २०१७.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधिनिर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१७ के निम्नांकित खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है:—

खण्ड २ : अन्तर्गत अपील की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी वृत्तिकर की अपीलें भी सुनने एवं निराकृत करने के लिए अधिकृत किए जाने;

खण्ड ३ : कर निर्धारण प्राधिकारी को वृत्तिकर के लिए कर निर्धारण अधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाने;

खण्ड ५ : द्वारा पुनरीक्षण के मामलों हेतु नियुक्त राज्य कर विशेष आयुक्त एवं राज्य कर अपर आयुक्त को शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने; तथा

खण्ड ६ : द्वारा वृत्तिकर से संबंधित लेखाओं के निरीक्षण तथा परिसर की तलाशी के लिए राज्य कर निरीक्षक की पद श्रेणी से ऊपर के माल और सेवा कर अधिनियम अंतर्गत प्राधिकारियों को आयुक्त द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने;

के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

भोपाल :
दिनांक : २८ नवम्बर, २०१७

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) से उद्धरण.

* * * * *

धारा २ :

(क) **वृत्ति कर अपीलीय प्राधिकारी** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३-क के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वृत्ति कर अपीलीय प्राधिकारी के ऐसे कृत्यों का जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं, पालन करने के लिये प्राधिकृत किया जाए,''.

(ख) **वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस हेतु प्राधिकृत करे कि वह इस अधिनियम के अधीन वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे कृत्यों का, जैसे कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पालन करें.

* * * * *

धारा ७ : (१) इस अधिनियम का प्रशासन मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर में निहित होगा जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वृत्ति कर आयुक्त के रूप में अभिहित किया जाएगा.

* * * * *

धारा १५-क : (१) धारा १५ में या किसी विधि या किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी आयुक्त या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक से भिन्न कोई अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर विहित प्ररूप में सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति नियोजक या व्यक्ति को उसके ऐसे अंतिम पते पर, जो कि सूचना देने वाले अधिकारी को ज्ञात है, भेजी जाएगी.

* * * * *

धारा १८ : (३) वृत्ति कर आयुक्त उपधारा (१) के अधीन की अपनी शक्ति, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रत्यायोजित कर सकेगा :

* * * * *

धारा २० : (२) वृत्ति कर आयुक्त, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाये, उपधारा (१) के अधीन की अपनी शक्तियां मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन्, २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी ऐसे अधिकारी को जो निरीक्षक, वाणिज्यिक कर की पद श्रेणी से ऊपर की पद श्रेणी का हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा.

* * * * *

अनुसूची

(धारा ३ देखिए)

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की दरों की अनुसूची

८. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन कर की देनगी करने के दायित्वाधीन व्यापारी, जिनका वार्षिक ग्रास टर्न ओवर,—

(क)	१०,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	१०,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५०,००,००० रुपये से कम है	२००० रुपये
(ग)	५०,००,००० रुपये और उससे अधिक है.	२५०० रुपए

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.